न्यायालय उपायुक्त, पाकुड़

Criminal Misc. No.-01/2020-21

धर्मवीर कुमार

बनाम

झारखण्ड राज्य

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
1	2	3
19.12.2020	**आदेश** यह वाद आवेदक धर्मवीर कुमार, पिता–अनुप भगत, सा0–डुमरचीर, थाना–अमड़ापाड़ा, जिला–पाकुड़ के द्वारा अपने विज्ञ अधिवक्ता के माध्यम से अमड़ापाड़ा थाना काण्ड सं0–36/20, धारा 9(I), 13(I) (II), The Jharkhand Miniral (Prevantion of illegal Mining Transportation and Storage) Rule 2017 के तहत जब्त ट्रैक्टर, निबंधन सं0–JH17R/4373 एवं ट्रेलर, निबंधन सं0–JH17R/1830 को धारा 11(V), The Jharkhand Miniral (Prevantion of illegal Mining Transportation and Storage) Rule 2017 तथा धारा 451 Cr.PC के तहत मुक्त करने संबंधी दाखिल आवेदन के आलोक में प्रारंभ किया गया। यह आवेदन आवेदक के द्वारा माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पाकुड़ के न्यायालय के Criminal Revision no.- 09/2020 में दिनांक 28.08.2020 को पारित आदेश के पारा 05 एवं 06 के आलोक में किया गया है। आवेदक के द्वारा दाखिल आवेदन के अनुसार आवेदक प्रश्नगत जब्त वाहन (ट्रैक्टर) के मालिक है तथा उक्त वाहन की प्रकृति Commercial है। जिला खनन पदाधिकारी, पाकुड़ द्वारा परीक्ष्यमान पु0अ0नि0 के पत्र दिनांक 16.07.2020 जिसमें प्रतिवेदित किया गया था कि गश्ती के क्रम दिनांक 16.07.2020 को संथाली टोला के पास प्रश्नगत ट्रैक्टर पर 100 cft. बालू लोड कर परिवहन किया जा रहा था, पुलिस गाड़ी को देखकर प्रश्नगत ट्रैक्टर के चालक ट्रैक्टर छोड़कर भाग गया, के क्रम में दिनांक 17.07.2020 को थाना परिसर जाकर प्रश्नगत वाहन की जांच की गई, परिवहन संबंधी कोई कागजात नहीं मिला। फलस्वरूप उनके द्वारा The Jharkhand Miniral (Prevantion of illegal Mining Transportation and Storage) Rule 2017 के नियम 9(I), 13(i) (ii) के तहत प्रश्नगत वाहन के चालक एवं मालिक के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई गई जो अमड़ापाड़ा थाना काण्ड सं0–36/2020 दिनांक 17.07.2020 के रूप में दर्ज किया गया। आवेदक द्वारा प्राथमिकी दर्ज होने के बाद माननीय अपर न्यायिक दण्डाधिकारी के न्यायालय में Surrender cum Bail Petition तथा प्रश्नगत ट्रैक्टर को मुक्त करने हेतु Release Petition दाखिल किया गया। परन्तु माननीय अपर न्यायिक दण्डाधिकारी, पाकुड़ द्वारा उक्त दोनों Petition	

Scanned with CamScanner

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर
1	2

खारिज कर दिया गया, जिससे विक्षुब्ध होकर आवेदक द्वारा माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पाकुड़ के न्यायालय में Revision दायर किया गया जो Criminal Revision Petition No.-09/2020 के रूप दर्ज किया गया। उक्त Criminal Revision Petition No.-09/2020 में दिनांक 28.08.2020 को पारित आदेश के द्वारा उक्त Revision Petition को आंशिक रूप से स्वीकृत किया गया। उक्त आदेश दिनांक 28.08.2020 के पारा 6 में पारित आदेश के क्रम में इस न्यायालय में यह आवेदन दाखिल किया गया है। पारा 6 में पारित आदेश का उद्धहरण निम्नवत है :–

In section II of the rule, the provision of search, seizure and confiscation of a vehicle has mentioned in sub section (V)it is stated "Any minerals, tools, equipment, vehicle of anything seized shall be liable to be confiscated by an order of the court of the Deputy Commissioner of the concerned district and shall be disposed of in accordance with direction of such court"

Therefore, any petition to release the seized vehicle is maintainable in the court of Deputy Commissioner, Pakur.

आवेदक के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा प्रस्तुत अन्तिम बहस को सुना। उनके द्वारा लिखित बहस एवं List of documents भी दाखिल किया गया है।

आवेदक का कहना है कि प्रश्नगत ट्रैक्टर को जिला खनन पदाधिकारी, पाकुड़ के द्वारा स्वयं जब्त नहीं किया गया है, बल्कि थाना प्रभारी, आमड़ापाड़ा ने दिनांक 16.07.2020 को गश्ती के दौरान संथाली टोला के पास 100 Cft. बालू एवं 10 बोरा सीमेंट के साथ उक्त ट्रैक्टर को पकड़ा एवं थाना परिसर में सुरक्षित रखा गया। थाना प्रभारी, आमड़ापाड़ा के द्वारा दिनांक 17.07.2020 को इस संदर्भ में जिला खनन पदाधिकारी, पाकुड़ को सूचित किया गया। थाना प्रभारी, आमड़ापाड़ा के पत्र के आलोक में दिनांक 17.07.2020 को जिला खनन पदाधिकारी, पाकुड़ के द्वारा आमड़ापाड़ा थाना परिसर में रखे गए उक्त 100 Cft. बालू सहित ट्रैक्टर को जब्त करते हुए वाहन मालिक एवं चालक के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई गई। जब्ती सूची भी दिनांक 17.07.2020 को ही तैयार किया गया है जबकि प्रश्नगत ट्रैक्टर को दिनांक 16.07.2020 को पकड़ा गया था। उनका आगे कहना है कि जिला खनन पदाधिकारी, पाकुड़ ने प्रश्नगत ट्रैक्टर को बालू का परिवहन करते नहीं देखा और न ही घटनास्थल पर ट्रैक्टर जब्त किया गया। थाना प्रभारी, आमड़ापाड़ा द्वारा ट्रैक्टर पकड़ने के बाद उसे जब्त नहीं किया और न ही कोई केस दर्ज किया गया क्योंकि उक्त वाहन को पकड़े जाने के बाद उक्त बालू एवं 10 बोरा सीमेंट के परिवहन से संबंधित

Scanned with CamScanner

कम और	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
1	2	3

कागजात थाना प्रभारी, अमड़ापाड़ा को दिखाया गया। परन्तु थाना प्रभारी आमड़ापाड़ा के द्वारा तथ्यों को छुपाते हुए जिला खनन पदाधिकारी, पाकुड़ को प्रतिवेदित किया गया तथा जिला खनन पदाधिकारी, पाकुड़ द्वारा बिना विधिवत जांच किए जब्ती एवं प्राथमिकी दर्ज करने की कार्रवाई की गई। आवेदक का आगे कहना है कि वस्तुतः प्रश्नगत ट्रैक्टर में लगभग 100 Cft. बालू एवं 10 बोरा सिमेंट लदा था जो भाटीकान्दर गांव में पी0सी0सी0 सड़क निर्माण कार्य की समाप्ति के पश्चात् बचा हुआ था। उक्त बालू एवं 10 बोरा सीमेंट को पंचायत सचिव एवं मुखिया, पंचायत डुमरचीर के आदेश पर उक्त ट्रैक्टर को भाड़ा पर लेकर पंचायत में दूसरे स्थान पर चल रहे अन्य कार्य में उपभोग हेतु परिवहन किया जा रहा था। घटना की पूर्ण जानकारी देने एवं कागजात दिखाने पर भी थाना प्रभारी, आमड़ापाड़ा के द्वारा जिला खनन पदाधिकारी, पाकुड़ को तथ्यों का छुपाते हुए प्रतिवेदित कर दिया गया। आवेदक का आगे कहना है कि जिला खनन पदाधिकारी, पाकुड़ के पत्रांक 1980/एम0 दिनांक 06.11.2020 के द्वारा इस संदर्भ में प्रतिवेदित किया गया है, जिसमें उनके द्वारा The Jharkhand Miniral (Prevantion of illegal Mining Transportation and Storage) Rule 2017 के नियम 13 के तहत समुचित निर्णय लेने का अनुरोध किया गया है। उनका कहना है कि Rule 13 में Penalties का प्रावधान है, जिसमें आगे कहा गया कि इस रूल के तहत JMMC Rule 2004 के अनुसार पेनल्टी होगी। JMMC Rule 2004 की धारा 54 की उपधारा 07 में 1000/– रूपये का अर्थदण्ड का प्रावधान है। आवेदक का आगे कहना है कि वे 1000/– रूपये का अर्थ दण्ड जमा करने के लिए तैयार है। उनके द्वारा यह भी कहा गया कि माननीय अपर न्यायिक दण्डाधिकारी के न्यायालय, पाकुड़ द्वारा चालक एवं मालिक को जमानत दे दिया गया है। उनके द्वारा प्रश्नगत ट्रैक्टर एवं ट्रेलर को मुक्त करने का आदेश पारित करने हेतु अनुरोध किया गया।

सम्पूर्ण अभिलेख का अवलोकन किया गया। जिला खनन पदाधिकारी, पाकुड़ के पत्रांक 1980/एम0, दिनांक 08.11.2020 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि प्रश्नगत मामले में The Jharkhand Miniral (Prevantion of illegal Mining Transportation and Storage) Rules 2017 के नियम 11(5), के तहत इस न्यायालय में Confiscation से संबंधित कोई आवेदन नहीं किया गया है। जिला खनन पदाधिकारी द्वारा उक्त Rule के नियम 13 के आलोक में निर्णय लेने का अनुरोध किया गया है। उक्त Rule 2017 के नियम 11(V) निम्नवत है :–

"Any minerals, tools, equipment, vehicle or anything seized shall be liable to be confiscated by an order of the court of the Deputy Commissioner of the

Scanned with CamScanner

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	
1	2	

concerned district and shall be disposed of in accordance with direction of such court"

जिला खनन पदाधिकारी, पाकुड़ के प्रतिवेदन से स्पष्ट होता है कि प्रश्नगत मामले में Confiscation का कोई प्रस्ताव उपलब्ध नहीं कराया गया है एवं इस न्यायालय में प्रश्नगत जब्त वाहन के Confiscation का कोई मामला विचाराधीन नहीं है। जिला खनन पदाधिकारी, पाकुड़ के द्वारा Rule 13 के आलोक में निर्णय लेने का अनुरोध किया गया है। Rule 13 का उद्धहरण निम्नवत है :–

13. PENLTIES

(i) Any person who contravenes any of the provision of these rules, or buys or sells or store minerals except under and in accordance with the terms and conditions of dealers registration or who transports the minerals except as mentioned in the transport challan or transport minerals except as mentioned in the transport challan or transport minerals without transport challan shall be punishable as per provision made under JMMC Rules, 2004 and as amended from time to time.

उक्त Rule 13 में जुर्माने का प्रावधान है जो JMMC Rules, 2004 के प्रावधानों के तहत किया जाना है।

प्रश्नगत मामले में आवेदक का कहना है कि उनके द्वारा ग्राम –भाटीकान्दर, पंचायत डुमरचीर में पी0सी0सी0 सड़क निर्माण कार्य की समाप्ति के पश्चात् बचे 100 Cft. बालू एवं 10 बोरा सीमेंट का परिवहन किया जा रहा था। इस संदर्भ में उनके द्वारा ग्राम भाटीकान्दर के लाभुक समिति के अध्यक्ष मनोज हांसदा के द्वारा लिखे गए आवेदन पर पंचायत डुमरचीर के मुखिया द्वारा पृष्ठांकित आदेश की छायाप्रति दाखिल किया गया है। आवेदक द्वारा मनोज हांसदा, लाभुक समिति, भाटीकान्दर पी0सी0सी0 सड़क निर्माण को बालू की delivery हेतु Form "D" में निर्गत Transport Challan (Destination copy) Serial no.-C31800823/1999 एवं 2000 दिनांक 26.03.2018 Serial no.-C31800823/2053, 2054, 2068 एवं 2069 दिनांक 27.03.2018 की छायाप्रति दाखिल किया गया है। साथ ही भाटीकान्दर ग्राम में 14वें वित्त आयोग के तहत पी0सी0सी0 सड़क निर्माण से संबंधित अभिलेख की छायाप्रति भी दाखिल किया गया है। उक्त कागजातों के अवलोकन से प्रतीत होता है कि ग्राम भाटीकान्दर में योजना सं0–20/2017–18

Scanned with CamScanner

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
2	3

(आदित्यपुर ग्राम में 100 बेड सी०सी०बी० भवन निर्माण) के लिए बालू की delivery की गई जिसका Transportation Challan की छायाप्रति दाखिल किया गया है जो दिनांक 27.03.2019 / 28.03.2019 तक ही वैध था। इस प्रकार उक्त योजना स्थल से अन्य योजना स्थल तक प्रश्नगत तिथि 16.07.2020 को बालू परिवहन करने संबंधी Transport Challan आवेदक द्वारा न तो जांच पदाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया गया और न ही इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। फलतः प्रश्नगत वाहन से अवैध रूप से बिना चालान के लघु खनिज (बालू) का परिवहन किया जा रहा था, जो झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली 2004 के नियम 54 में निहित प्रावधान का उल्लंघन है।

चूंकि इस न्यायालय में जब्त प्रश्नगत वाहन के **Confiscation** का कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है और न ही प्रश्नगत वाहन के **Confiscation** का कोई मामला विचाराधीन है। साथ ही माननीय अपर न्यायिक दण्डाधिकारी, पाकुड़ के न्यायालय द्वारा अमड़ापाड़ा थाना काण्ड सं0-38/2020 के अभियुक्तों को जमानत दे दी गई है।

अतः उपरोक्त वर्णित परिप्रेक्ष्य में आवेदक को JMMC Rule 2004 के तहत नियमानुसार जुर्माने की राशि अदा करने का आदेश दिया जाता है। जिला खनन पदाधिकारी, पाकुड़ JMMC Rule 2004 के तहत उचित जुर्माना का निर्धारण कर जुर्माने की राशि नियमानुसार वसूल करते हुए प्रश्नगत जब्त वाहन को मुक्त करेंगे।

लेखापित एवं संशोधित

उ पा यु क्त,
पाकुड़।

उ पा यु क्त,
पाकुड़।

Digitally signed by VARUN RANJAN
Date: 2023.01.12 15:36:25 +05:30
Location: 192.168.1.100

Scanned with CamScanner